an>

Title: Regarding alleged irregularities in implementation of Rural Electrification Scheme in Uttar Pradesh.

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदन के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के तत्वाधान में चलायी जा रही भारत के विकास की दिशा में अत्यन्त तीव्रता प्रदान की जा रही है किंतु खेद के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा वर्ष 2018 तक प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने की योजना घोषित हुई है। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है और अब तक मात्र 25 प्रतिशत गांवों का ही विद्युतीकरण हुआ है जिसके उदाहरणस्वरूप हमारे कानपुर नगर के 1792 गांवों में से 255 गांव और कानपुर देहात के 336 गांवों का ही अभी तक विद्युतीकरण हुआ है।

इसके अलावा खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इसकी जो अंतिम अवधि है, 1 अक्टूबर 2016 तक पूरी हो जानी चाहिए। सितम्बर 2014 से लेकर 2016 तक की अक्टूबर की अवधि दी गई है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही इस हद तक है कि जो बिजली का काम करने वाले स्थानीय ठेकेदार हैं, शासन के लोग हैं, उनके द्वारा जिस गांव का विद्युतीकरण होता है, उसमें पोलों को ले जाने के लिए उनके साथ जबर्दस्ती की जाती है जिसके तहत हमारे दो विकास खंडों में भीतर गांव विकास खंड के बृहर गांव में दो लोगों की मौत हो गई और कल्याणपुर विकास खंड के तीन लोगों की मौत हो गई। खेद का विषय है कि अभी तक उन लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा पारिवारिक लाभ योजना के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिया गया है। अत: मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मृतकों के परिवारों को दस दस लाख रुपये की राशि प्रदान की जाए और काम के जल्दी निस्तारण की व्यवस्था की जाए। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और

श्री मुकेश राजपूत को श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।